अध्याय 8

लाभांश की घोषणा और भुगतान

सीखने के परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप समर्थ होंगे:

- ❑ लाभांश की घोषणा और भुगतान से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझने में
- ❑ संचित रिजर्व में से लाभांश घोषित करने से पहले उन शर्तों के बारे में जानने में जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है।
- ❑ अवैतनिक और दावा रहित लाभांश से निपटने के तरीके की सराहना करने में
- ❑ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) की प्रकृति और ढांचे को समझने में
- ❑ लाभांश वितरित करने में विफलता के परिणामों की सराहना करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय अवलोकन

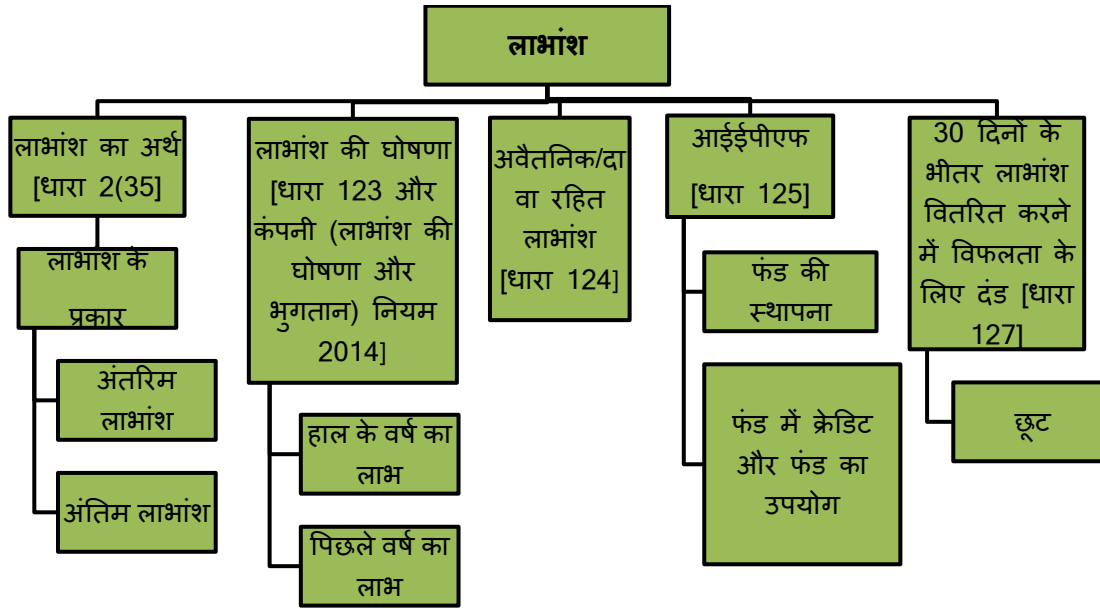

1. लाभांश का अर्थ

परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(35) में लाभांश शब्द को परिभाषित करते हुए केवल यह कहा गया है कि "लाभांश" में अंतरिम लाभांश शामिल है।

यह परिभाषा, शब्द की व्याख्या करने के बजाय केवल 'अंतरिम लाभांश' को अपनी तह में शामिल करके इसका दायरा बढ़ाती है।

लाभांश कंपनी में अपने निवेश/पूँजी पर अंशधारकों की वापसी है। लाभांश वितरण योग्य लाभ का हिस्सा है जिसका उन्हें भुगतान किया गया है। सरल शब्दों में, यह मुनाफे का वितरण है यानी अर्जित लाभ का एक हिस्सा और जब भी घोषित किया जाता है तो अंशधारकों को देय के रूप में आवंटित किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कंपनी आम बैठक में लाभांश की घोषणा कर सकती है, लेकिन कोई भी लाभांश बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा। (अनुसूची I में तालिका F का खंड 80)

बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशक मंडल द्वारा लाभांश की सिफारिश की जाती है और अंशधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है।[1] लाभांश तब तक एक दायित्व नहीं है जब तक कि अंशधारकों द्वारा बोर्ड द्वारा अनुशंसित दरों पर सामान्य प्रस्ताव[2] पारित करके या इस तरह की कम दरों के रूप में वे तय कर सकते हैं, तब तक इसे वैध रूप से गठित आम बैठक में घोषित नहीं किया जाता है।

कंपनी द्वारा बोर्ड द्वारा अनुशंसित दर से अधिक दर पर लाभांश की घोषणा की अनुमति नहीं है।

लाभांश को किसी अंश के नाममात्र या अंकित मूल्य के अनुपात के रूप में घोषित किया जाता है।

उदाहरण 1: एबी लिमिटेड ने ₹10 प्रति अंश के अंकित मूल्य वाले इक्विटी अंश का निर्गमन किया है। अंश वर्तमान में एनएसई पर ₹250/- प्रति अंश पर भाव कर रहे हैं। कंपनी ने 27.7.20 को आयोजित अपनी एजीएम में 20% का लाभांश घोषित किया है। श्री शेखर के पास 1000 अंश हैं जिन्हें उन्होंने 300/- प्रति अंश की दर से खरीदा। उसे कितना लाभांश प्राप्त होगा?

लाभांश की गणना अंकित मूल्य अर्थात ₹10/- पर की जानी है। अतः लाभांश प्रति अंश ₹10/- = ₹2/- प्रति अंश का 20% है। तो श्री शेखर को ₹2 * 1000 अंश मिलेंगे =

₹2000/-।

उदाहरण 2: वार्षिक आम बैठक में अंशधारकों ने सर्वसम्मति से निदेशकों द्वारा अनुशंसित दर से अधिक पर लाभांश के भुगतान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। संकल्प की वैधता पर चर्चा करें।

एसोसिएशन कंपनियों के लेखों में आमतौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 की तालिका एफ से अनुसूची I के नियम 80 से 85 के पैटर्न पर लाभांश की घोषणा के संबंध में प्रावधान होते हैं। विनियम 80 के तहत, लाभांश घोषित करने की शक्ति आम बैठक के साथ निहित है लेकिन यहां तक कि सभी अंशधारकों को भी निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक लाभांश घोषित करने की शक्ति नहीं है।

---

[1] धारा 134 (3) (के) के अनुसार।

[2] धारा 102 (2) के अनुसार एजीएम में किसी भी लाभांश की घोषणा एक साधारण व्यवसाय है जिसमें सामान्य समाधान की आवश्यकता होती है। किसी अन्य आम सभा में यह विशेष कार्य होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. लाभांश के प्रकार

I. लाभांश घोषित होने के समय के आधार पर वर्गीकरण

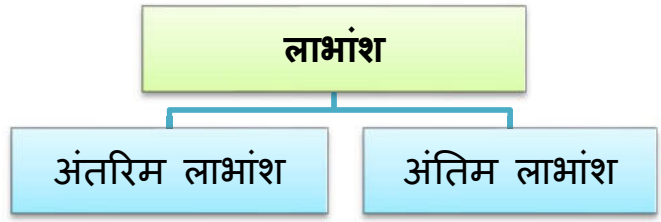

अंतरिम लाभांश

धारा 123 (3) और धारा 123 (4) में भी अंतरिम लाभांश के संबंध में प्रावधान हैं। निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं:

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति से लेकर वार्षिक आम बैठक के आयोजन तक की अवधि के दौरान निदेशक मंडल द्वारा किसी भी समय अंतरिम लाभांश की घोषणा की जा सकती है।
  अंतरिम लाभांश की घोषणा अंशधारकों द्वारा खातों को अंतिम रूप से अपनाने से पहले मुनाफे से की जाती है और इसलिए, अंतरिम लाभांश को दो एजीएम के बीच घोषित और भुगतान किया जाता है।
- अंतरिम लाभांश घोषित करने के स्रोतों में शामिल हैं:
  - लाभ और हानि खाते में अधिशेष; या
  - वित्तीय वर्ष का लाभ जिसमें ऐसा लाभांश घोषित किया जाना है; या
  - अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले की तिमाही तक वित्तीय वर्ष में अर्जित लाभ।
- सदस्यों द्वारा आगामी एजीएम में अंतरिम लाभांश की घोषणा की पुष्टि की जाएगी।
- यदि कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पहले की तिमाही के अंत तक नुकसान हुआ है, तो ऐसे अंतरिम लाभांश को उनके द्वारा घोषित औसत (दर) लाभांश से अधिक दर पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा।
  उदाहरण 3: यदि किसी कंपनी ने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 16% की दर से लाभांश की घोषणा की, तो यदि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में हानि होती है, तो उसे अंतरिम लाभांश की घोषणा करने की अनुमति उस दर से दी जाती है जो 16% से अधिक नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- अंतरिम लाभांश सहित लाभांश की राशि, घोषणा की तारीख से पांच दिनों के भीतर अनुसूचित बैंक के पास रखे गए एक अलग खाते में जमा की जाएगी।
- लाभांश के भुगतान पर लागू होने वाले सभी प्रावधान अंतरिम लाभांश के मामले में भी लागू होंगे।

अंतिम लाभांश

- जब कंपनी की वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की जाती है, तो इसे 'अंतिम लाभांश' के रूप में जाना जाता है।
- बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश की दर सदस्यों द्वारा नहीं बढ़ाई जा सकती।

नीचे दी गई तालिका अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश की उपरोक्त अवधारणाओं का एक त्वरित सारांश प्रदान करती है।

तुलना का आधार	अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
परिभाषा	अंतरिम लाभांश एक लेखा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया जाता है, अर्थात वर्ष के लिए खातों को अंतिम रूप देने से पहले	अंतिम लाभांश निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश है, और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कंपनी की वार्षिक आम बैठक में अंशधारकों द्वारा अनुमोदित है
घोषणा	निदेशक मंडल द्वारा घोषित	निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित और अंशधारकों द्वारा अनुमोदित
घोषणा का समय	वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले	वित्तीय विवरण तैयार करने के बाद
निरसन	इसे सभी अंशधारकों की सहमति से रद्द किया जा सकता है	इसे रद्द नहीं किया जा सकता है
संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान	यह तभी घोषित किया जाता है जब अनुच्छेद विशेष रूप से घोषणा की अनुमति देते हैं	इसके लिए अनुच्छेदों में किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं है

© The Institute of Chartered Accountants of India

II. **अंशों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के लिए अनुच्छेदों में किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती है।**

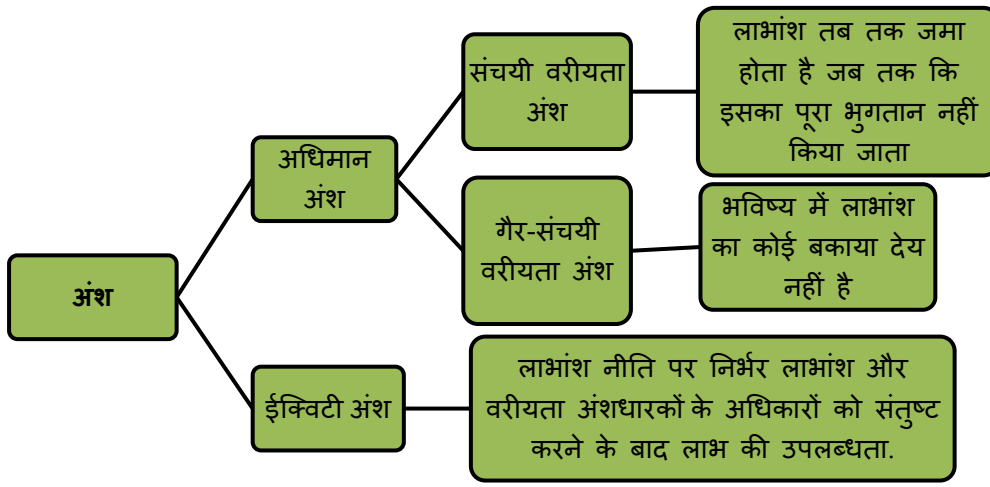

अंशों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है यानी वरीयता अंश और इक्विटी अंश। लाभांश के भुगतान का तरीका अंशों की प्रकृति पर निर्भर करता है।

(i) **वरीयता अंश**: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार, वरीयता अंश रखने वाले अंसशधारकों को कंपनी के कार्यकाल के दौरान एक निश्चित दर पर तरजीही लाभांश का आश्वासन दिया जाता है।

वरीयता लाभांश जब तक अन्यथा सहमत न हो, प्रकृति में गैर-संचयी है और किसी भी वर्ष में भुगतान की आवश्यकता नहीं है जहाँ लाभ की कमी है।

लाभांश के भुगतान के आधार पर वरीयता अंशों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

(a) **संचयी वरीयता अंश**: संचयी वरीयता यश वह होता है जिसके संबंध में लाभांश जमा हो जाता है और चालू वर्ष के दौरान मुनाफे की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसे लाभांश का कोई बकाया बाद के वर्षों में अर्जित लाभ से देय होता है। जब तक संचयी वरीयता अंशों पर यदि कोई बकाया हो उसके सहित, लाभांश का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तब इक्विटी अंशों पर कोई लाभांश देय नहीं है।

(b) **गैर-संचयी वरीयता अंश**: गैर-संचयी वरीयता अंश वह होता है जहाँ लाभांश केवल लाभ के एक वर्ष में देय होता है। संचयी वरीयता अंशों के मामले में लाभ का कोई संचय नहीं है। यदि किसी कारण से एक वर्ष में कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाता है, तो उस वर्ष के लिए ऐसा लाभांश प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है और ऐसे अंशों का धारक भविष्य के वर्षों में लाभांश के बकाया भुगतान का हकदार नहीं होता

© The Institute of Chartered Accountants of India

है।

(ii) **इक्विटी अंश**: इक्विटी अंश वे अंश होते हैं, जो वरीयता अंश नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि लाभांश के भुगतान या पूँजी के पुनर्भुगतान के मामले में उन्हें कोई अधिमान्य अधिकार प्राप्त नहीं है। निदेशक मंडल द्वारा इक्विटी अंशों पर लाभांश की दर की सिफारिश की जाती है और यह साल-दर-साल भिन्न हो सकती है। लाभांश की दर वरीयता अंशधारकों के अधिकारों को संतुष्ट करने के बाद लाभांश नीति और मुनाफे की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

3. लाभांश की घोषणा और भुगतान के संबंध में प्रावधान

A. लाभांश की घोषणा के लिए स्रोत

धारा 123(1) के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश निम्नलिखित स्रोतों से घोषित या भुगतान किया जाएगा:

(a) **चालू वित्तीय वर्ष के लाभ**- अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान करने के बाद लाभ प्राप्त हुआ।[3]

(b) **किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लाभ** - अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान करने के बाद आने वाले किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ और शेष अविभाजित यानी लाभ और हानि खाते और मुक्त रिजर्व में क्रेडिट शेष अथार्त[4] यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लाभांश की घोषणा या भुगतान के लिए केवल मुक्त रिजर्व और किसी अन्य रिजर्व का उपयोग नहीं किया जाना है।[5]

(c) दोनों (a) और (b)।

(d) **सरकार द्वारा धन का प्रावधान**- केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए प्रदान किया गया धन।

---

[3] धारा 123(2) के अनुसार।

[4] धारा 2 (43) 'मुक्त भंडार' शब्द को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है ऐसे भंडार, जो किसी कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार, लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, निम्नलिखित मदों को मुक्त भंडार के रूप में नहीं माना जाएगा:

(1) अप्राप्त लाभ, काल्पनिक लाभ या संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी राशि, चाहे वह आरक्षित के रूप में दिखाया गया हो या अन्यथा; या

(2) परिसंपत्ति या उचित मूल्य पर देयता के मापन पर लाभ और हानि खाते में अधिशेष सहित इक्विटी में मान्यता प्राप्त किसी परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन।

[5] धारा 123(1) के तीसरे प्रावधान के अनुसार।

© The Institute of Chartered Accountants of India

टिप्पणी 1: किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले, पिछले नुकसान और गत वर्ष या वर्षों में प्रदान नहीं किए गए मूल्यह्रास को चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के खिलाफ सेट किया जाना आवश्यक है।[6]

टिप्पणी 2: लाभ की गणना में अप्राप्त लाभ, काल्पनिक लाभ या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी राशि और परिसंपत्ति या उचित मूल्य पर देयता के मापन पर किसी परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन शामिल नहीं किया जाएगा।[7]

टिप्पणी 3: पूँजीगत लाभ वितरण योग्य लाभ के समान नहीं हैं क्योंकि वे व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अर्जित नहीं होते हैं; और इसलिए, आम तौर पर लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

लाभांश घोषित करने से पहले लाभ में से मूल्यह्रास की व्यवस्था करने की आवश्यकता

लाभांश राजस्व लाभ से विभाजन है। इसलिए, लाभांश को कभी भी पूँजी से बाहर घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अंश पूँजी और डिबेंचर विषय में आपने जिस छूट का अध्ययन किया है, उस पर अंशों को जारी करने पर रोक का भी यही कारण है।

"मूल्यह्रास" परिसंपत्ति के मूल्य में कमी का एक अनुमानित अनुमान है, जिसके कारण में मुख्य है

i. टूट - फूट,

ii. द्वितीय समय का प्रवाह,

iii. प्रौद्योगिकी आदि में सुधार

यदि मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है तो इसके दो परिणाम होंगे:

i. तुलन पत्र में परिसंपत्ति का मूल्य अधिक बताया जाएगा

ii. द्वितीय चालू वर्ष के मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाएगा।

आइए, हम काल्पनिक मामले को लें जहाँ एक कंपनी किसी भी वर्ष के दौरान अर्जित सभी लाभों को लाभांश के रूप में घोषित करती है।

कंपनी के परिसमापन के समय तुलन पत्र में दिखाई देने वाली संपत्ति का मूल्य अंशधारकों की पूँजी चुकाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक वसूली योग्य मूल्य एक मामूली राशि होगी जो खत्म करने का खर्च पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकती है।

---

[6] धारा 123(1) के चौथे प्रावधान के अनुसार।

[7] धारा 123(1)(ए) के प्रावधान के अनुसार।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसका कारण यह है कि कंपनी मूल्यह्रास के प्रावधान के माध्यम से परिसंपत्ति के मूल्य में टूट-फूट की मात्रा को बनाए रखने में विफल रही है। एक तरह से कंपनी ने पूँजी से लाभांश घोषित किया होगा, जो निषिद्ध है।

इसलिए कानून लाभांश की घोषणा से पहले मुनाफे में से मूल्यह्रास के प्रावधान को अनिवार्य करता है।

उदाहरण 4: श्रेयस मैकेनिक्स लिमिटेड के पास जमीन का एक भूखंड है जिसे बहुत पहले खरीदा गया था। जैसे-जैसे संपत्ति की दरें बढ़ रही हैं, प्लॉट का उचित मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन करने का निर्णय लिया जाता है, जो मूल मूल्य का मामूली दस गुना होता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹20,00,000 का पुनर्मूल्यांकन लाभ होता है। निदेशक मंडल इस 20,000,000 का उपयोग करने के लिए इच्छुक है, और साथ ही 28 सितंबर, 2019 को होने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में लाभांश की घोषणा के लिए ₹24,00,000 के मुफ्त रिजर्व पर भी । लेकिन धारा 123 (1) (a) के प्रावधान के अनुसार, ₹20,00,000 की राशि पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह मुक्त संचय का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसका उपयोग लाभांश की घोषणा के लिए नहीं किया जा सकता है।

B. मुक्त संचय का हस्तांतरण

किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए लाभ को रिजर्व में हस्तांतरित करना कंपनी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, कंपनी अपने लाभ के किसी भी हिस्से को रिजर्व में हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वह उचित समझे। यह किसी भी राशि को रिजर्व में हस्तांतरित नहीं करने का निर्णय भी ले सकता है।

उदाहरण 5: चालू वर्ष के लिए, अल्मा वॉचेज लिमिटेड 12% की दर से लाभांश की घोषणा से पहले अपने लाभ का 10% से अधिक भंडार में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव करता है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है?

उत्तर: लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए मुनाफे में से रिजर्व में हस्तांतरित की जाने वाली राशि को कंपनी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसलिए, अल्मा वॉचेज लिमिटेड अपने मुनाफे के किसी भी हिस्से को रिजर्व में हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वह उचित समझे।

उदाहरण 6: ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹1,000 करोड़ का लाभ कमाया है। और इसने 8.75% की दर से लाभांश का प्रस्ताव किया है। हालाँकि,यह अर्जित लाभ में से किसी भी राशि को रिजर्व में हस्तांतरित करने का इरादा नहीं रखता है। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है?

उत्तर: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए मुनाफे में से रिजर्व में ट्रांसफर की जाने वाली राशि को कंपनी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कंपनी अपने मुनाफे के किसी भी हिस्से को रिजर्व में हस्तांतरित

© The Institute of Chartered Accountants of India

करने के लिए स्वतंत्र है जैसा कि वह उचित समझ सकता है या यह लाभांश की घोषणा से पहले उचित समझे जाने पर किसी भी लाभ को रिजर्व में हस्तांतरित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड इस अनुसार उचित है यदि वह किसी भी लाभ की राशि को रिजर्व में हस्तांतरित नहीं करता है।

C. अपर्याप्तता या लाभ की अनुपस्थिति होने पर लाभांश की घोषणा (धारा 123 का दूसरा प्रावधान)

जहाँ किसी भी वर्ष में लाभांश घोषित करने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं है, कंपनी अपने द्वारा हस्तांतरित किसी भी गत वर्ष के लाभों में से केवल कंपनी के नियम 3 *(घोषणा और लाभांश का भुगतान) नियम, 2014 I*

मुक्त संचय[8] का मतलब ऐसे रिजर्व से है, जो कंपनी के नवीनतम ऑडिटेड तुलन पत्र के अनुसार लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हैं:

निम्नलिखित को मुक्त संचय नहीं माना जाएगा;

अप्राप्त लाभ, काल्पनिक लाभ या संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी राशि, चाहे वह आरक्षित के रूप में या अन्यथा दिखाया गया हो, या

परिसंपत्ति या उचित मूल्य पर देयता के मापन पर लाभ और हानि खाते में अधिशेष सहित, इक्विटी में मान्यता प्राप्त किसी परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन।

नियम 3 के तहत ऐसी घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

शर्त I

घोषित लाभांश की दर उस दर के औसत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस पर कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में लाभांश घोषित किया गया था।

लाभांश की दर (RD1 +RD2 + RD3) / 3

जहाँ, RD1, RD2, RD3 वे दरें हैं जिन पर कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में लाभांश घोषित किया गया था।

हालाँकि, यह **शर्त लागू नहीं होगी** यदि कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्ष में से प्रत्येक में कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

[8] धारा 2 (43)

© The Institute of Chartered Accountants of India

शर्त II

इस तरह के संचित लाभ से निकाली जाने वाली कुल राशि इसकी चुकता अंश पूँजी और मुक्त संचय के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण में दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में:

कुल राशि जो संचित लाभ से निकाली जा सकती है) ≤ 10% (*भुगतान किया गया अंश पूँजी + मुक्त संचय)*

इस प्रकार निकाली गई राशि का उपयोग पहले उस वित्तीय वर्ष में हुई हानियों को समायोजित करने के लिए किया जाएगा जिसमें लाभांश घोषित किया गया है और उसके बाद ही, इक्विटी अंशों के संबंध में किसी भी लाभांश की घोषणा की जाएगी।

शर्त III

इस तरह की निकासी के बाद रिजर्व की शेष राशि इसकी चुकता शेयर पूँजी के 15% से कम नहीं होगी जैसा कि नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण में दिखाया गया है।

मुक्त संचय - लाभांश के भुगतान के लिए >= *चुकता अंश पूँजी का* 15% *निकाली गई राशि*

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपरोक्त सभी तीन शर्तों को पूरा करना होगा।

नियम 3 द्वारा निर्धारित शर्तें सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती हैं जिसमें संपूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी पुरानी सरकार या सरकार या केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है (अधिसूचना संख्या 463 (ई), दिनांक 05-06-2015)।

उदाहरण 7: केपरीकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चुकता पूँजी ₹200 लाख और संचित भंडार ₹240 लाख है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹30 लाख की हानि है। ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित दरों पर लाभांश घोषित किया गया था।

वर्ष 1	**9%**
वर्ष 2	**10%**
वर्ष 3	**12%**

वह अधिकतम दर क्या है जिस पर कंपनी चालू वर्ष के लिए लाभांश घोषित कर सकती है?

उत्तर: दिए गए मामले में, केपरिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त लाभ नहीं कमाया है, लेकिन यह अभी भी लाभांश घोषित करना चाहता है। आइए, शर्तों को लागू करें:

© The Institute of Chartered Accountants of India

शर्त I

$\frac{9+10+12}{3}$ औसत दर = 10.3%

इसलिए, लाभांश की दर 10.3% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यानी चुकता पूँजी का 10.3% यानी ₹200 लाख = ₹20.6 लाख

शर्त II:

चुकता पूँजी + मुक्त संचय = ₹(200+240) लाख

(मान लें कि सभी मुक्त संचय हैं) = ₹440 लाख

उसका 10% = ₹44 लाख

घटाव: वर्ष के लिए हानि = ₹30 लाख

उपलब्ध राशि = ₹14 लाख

इसलिए लाभांश की मात्रा को ₹14 लाख तक सीमित कर दिया गया है।

शर्त III:

संचित रिजर्व ₹240 लाख

लाभांश की प्रस्तावित निकासी घोषणा ₹14 लाख

संचय का शेष ₹226 लाख

यह चुकता पूँजी के 15% से अधिक है (अर्थात ₹200 लाख का 15%) अर्थात ₹30 लाख।

इस प्रकार, कंपनी ₹200 लाख की अपनी चुकता पूँजी पर ₹14 लाख यानी 7% की दर से लाभांश घोषित कर सकती है।

उदाहरण 8: शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड पिछले 3 वर्षों से नियमित रूप से अपने इक्विटी अंशों पर 20% की दर से लाभांश की घोषणा कर रही है। हालाँकि, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त लाभ नहीं कमाया है, लेकिन उसके पास पर्याप्त मुक्त संचय है जिसका उपयोग लाभांश की दर को 20% पर बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

कंपनी को सलाह दें कि अगर वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए 20% की दर से लाभांश घोषित करना चाहती है तो उसे इस मामले में कैसे आगे बढ़ना चाहिए।

उत्तर: कंपनी निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि के अधीन अपने संचित मुक्त संचय में से लाभांश की घोषणा कर सकती है:

© The Institute of Chartered Accountants of India

- नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार मुक्त संचय से निकाली जाने वाली कुल राशि इसकी चुकता अंश पूँजी और मुक्त संचय के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस प्रकार आहरित राशि का उपयोग पहले चालू वित्तीय वर्ष में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा और उसके बाद ही 20% पर लाभांश घोषित किया जाएगा।
- मुक्त संचय से इस तरह की निकासी के बाद, नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार, अवशिष्ट रिजर्व इसकी चुकता अंश पूँजी के 15% से कम नहीं होगा।

कंपनी को सलाह दी जाती है कि वह निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित वांछित लाभांश प्राप्त करे और आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तावित करे क्योंकि लाभांश घोषित करने का अधिकार कंपनी के सदस्यों के पास है।

D. लाभांश की राशि जमा करना

धारा 123(4) के अनुसार, लाभांश की राशि (अंतरिम लाभांश सहित), अनुसूचित बैंक के साथ बनाए गए एक अलग खाते में जमा की जाएगी। यह लाभांश की घोषणा की तारीख से 5 दिनों के भीतर किया जाना है।[9]

उदाहरण 9: अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड की अधिकृत और चुकता अंश पूँजी ₹50.00 लाख है जो ₹10 प्रत्येक के 5,00,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। 24 सितंबर, 2019 को आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, कंपनी ने एक साधारण प्रस्ताव पारित करके ₹2 प्रति अंश का लाभांश घोषित किया। लाभांश की राशि अनुसूचित बैंक में एक अलग खाते में 29 सितंबर, 2019 तक जमा करानी होगी।

E. लाभांश का भुगतान

धारा 123(5) में लाभांश के भुगतान के संबंध में प्रावधान हैं। इन्हें निम्नानुसार बताया गया है:

(a) लाभांश केवल पंजीकृत अंशधारक को या उसके बैंकर को या उसके आदेश से देय होगा।

यदि कोई अंशधारक कंपनी को किसी विशेष बैंकर को लाभांश का भुगतान करने के लिए सूचित करता है और यदि भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है, तो इसे स्वयं अंशधारक को किया गया माना जाएगा।

अंशों का खरीदार जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, उसे लाभांश के भुगतान का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसने अंशों के विक्रेता को पूरा भुगतान किया हो। इस संबंध में, हम बाद में इस अध्याय में धारा 126 देखेंगे, जो अंशों के हस्तांतरण के लंबित

[9] अधिसूचना संख्या 463 (ई), दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, यह आवश्यकता उस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी जिसमें संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकार द्वारा धारित है या केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा या एक या अधिक सरकारी कंपनी द्वारा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

पंजीकरण में लाभांश आदि को बनाए रखने का प्रावधान करती है, जब तक कि पंजीकृत धारक ने क्रेता को लाभांश का भुगतान करने के लिए कंपनी को अधिकृत नहीं किया हो।

उदाहरण 10: ईस्ट वेस्ट लिमिटेड के निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए इक्विटी अंशों पर 15% लाभांश का प्रस्ताव दिया। कंपनी ने लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 28 सितंबर 2018 घोषित की। लाभांश को 30 सितंबर 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया गया था।
श्री बिनॉय 31 मार्च, 2018 को 2000 इक्विटी अंशों के धारक थे, लेकिन उन्होंने अंशों को श्री मोहन को हस्तांतरित कर दिया, जिनका नाम 18 जून, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उपरोक्त लाभांश के लिए कौन हकदार होगा ?

उत्तर: धारा 123 के अनुसार, लाभांश का भुगतान कंपनी द्वारा केवल ऐसे अंश के पंजीकृत अंशधारक को ही किया जाएगा।
रिकॉर्ड तिथि कंपनी द्वारा लाभांश की पात्रता निर्धारित करने के लिए घोषित तिथि है। वे सभी व्यक्ति जिनका नाम उस तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में सम्मिलित है, लाभांश के पात्र होंगे। इस मामले में, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड तिथि के रूप में घोषित तिथि पर, श्री मोहन का नाम सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद है (अर्थात श्री बिनॉय का नाम उसमें मौजूद नहीं है)। इसलिए, लाभांश का भुगतान श्री मोहन को किया जाना चाहिए जो रिकॉर्ड तिथि पर पंजीकृत अंशधारक हैं।

उदाहरण 11: सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इक्विटी अंशों पर 12% लाभांश का प्रस्ताव दिया। 25 जून, 2020 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी।
31 मार्च, 2020 तक श्री नितिन झा के पास 1,000 इक्विटी अंश थे, लेकिन उनके द्वारा मिस्टर राज को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 20 अप्रैल, 2020 को दर्ज किया गया था। बताएं कि कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का कौन हकदार होगा।

उत्तर: धारा 123(5) के अनुसार, लाभांश केवल अंशों के पंजीकृत अंशधारक या उसके आदेश या उसके बैंकर को देय होगा। दिए गए मामले में तथ्य बताते हैं कि इक्विटी अंशों के धारक श्री नितिन झा ने अपने शेयर श्री राज को हस्तांतरित कर दिए, जिनका नाम 20 अप्रैल, 2020 को पंजीकृत किया गया था। चूँकि,श्री राज लाभांश की घोषणा से पहले पंजीकृत अंशधारक बन गए थे। 25 जून, 2020 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में, वह लाभांश के हकदार होंगे।
टिप्पणी: धारा 51 के संदर्भ में, यदि कोई कंपनी अपने लेखों द्वारा अधिकृत है, तो प्रत्येक अंश पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में लाभांश का भुगतान कर सकती है। मान लीजिए, कुछ अंशधारकों ने उनके द्वारा धारित प्रत्येक अंश पर केवल ₹5 (अंकित मूल्य ₹10) का भुगतान किया है। ₹5 प्रति अंश की दर से लाभांश की घोषणा के मामले में, कंपनी, यदि उसके लेखों

© The Institute of Chartered Accountants of India

द्वारा अधिकृत है, ऐसे आंशिक रूप से भुगतान किए गए अंशों के संबंध में ₹2.50 प्रति अंश के लाभांश का भुगतान करने के लिए उचित होगा।

(b) **लाभांश नकद में देय हैं न कि वस्तु के रूप में। अंशधारकों को नकद में देय लाभांश का भुगतान चेक या लाभांश वारंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है।** धारा 127 के अनुसार घोषित लाभांश का भुगतान हकदार अंशधारकों को लाभांश की घोषणा की तारीख से तीस दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। यदि लाभांश का भुगतान लाभांश वारंट जारी करके किया जाता है, तो ऐसे वारंट निर्धारित समय के भीतर पंजीकृत पते पर पोस्ट किए जाने चाहिए। एक बार पोस्ट करने के बाद, यह कोई मायने नहीं रखता कि अंशधारकों को तीस दिनों के भीतर यह प्राप्त होता है या नहीं।

टिप्पणी: लाभांश का भुगतान केवल नकद में किया जाएगा। इसका अपवाद पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने या कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं अंशों पर कुछ समय के लिए अवैतनिक राशि का भुगतान करने के उद्देश्य से किसी कंपनी[10]. के लाभ या रिजर्व का पूँजीकरण है।

लेकिन आप ध्यान दें कि लाभांश की घोषणा से कंपनी की पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने की शक्ति प्रभावित नहीं होती है, लेकिन लाभांश के बदले ऐसे अंश जारी नहीं किए जा सकते हैं।

(c) **निधियों के लिए धारा 123 (5) की प्रयोज्यता:** अधिसूचना संख्या जीएसआर 465 (E), दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, यह उप-धारा निधियों पर लागू होगी, संशोधन के अधीन कि कोई लाभांश देय है यदि लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो इसे सदस्य के खाते में जमा करके नकद में भुगतान किया जा सकता है।

[10] धारा 123 (5) का पहला प्रावधान

© The Institute of Chartered Accountants of India

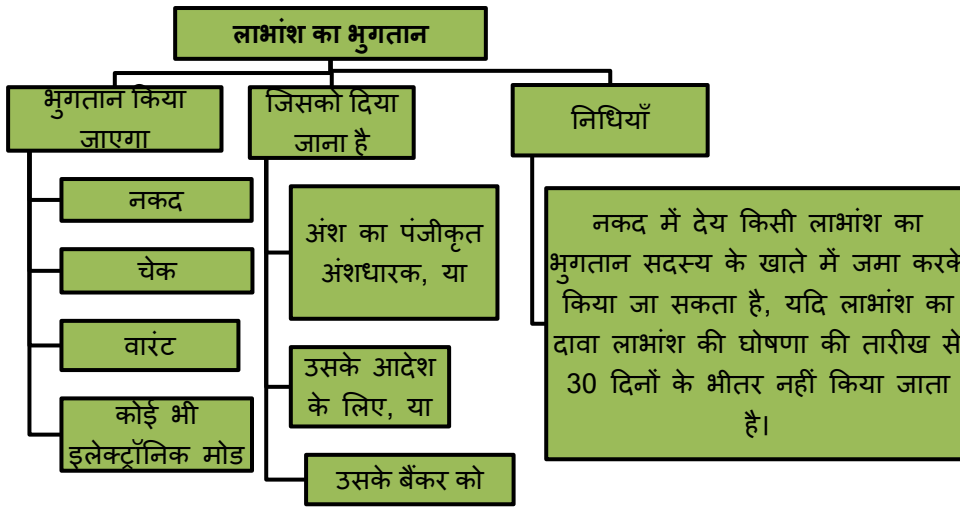

F. लाभांश की घोषणा पर निषेध

निम्नलिखित मामलों में लाभांश की घोषणा और भुगतान निषिद्ध है।

(i) **किसी चूककर्ता कंपनी के मामले में निषेध**[11]**:** कंपनी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले स्वीकृत धारा 73 (जनता से जमा की स्वीकृति पर निषेध) और धारा 74 (जमा की चुकौती, आदि) 2013 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है। जब तक ऐसी विफलता जारी रहती है, तब तक अपने इक्विटी अंशों पर कोई लाभांश घोषित नहीं करेगा।

(ii) **धारा *8* कंपनियों के मामले में निषेध*:*** धारा 8 (1) के अनुसार, धारा 8 *(*धर्मार्थ उद्देश्यों के साथ कंपनियों का गठन, आदि) के तहत लाइसेंस रखने वाली कंपनी को अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसका लाभ केवल उन वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाना है जिनके लिए इसका गठन किया गया है।

कोई लाभांश नहीं

धारा 8 कंपनी के लिए

[11] धारा 123 (6)

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. अवैतनिक लाभांश खाता (यूडीए)

अधिनियम की धारा 124 में अवैतनिक लाभांश खाते (यूडीए) से संबंधित प्रावधान हैं। ये इस प्रकार हैं:

(i) अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश को अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित किया जाना - जहाँ किसी कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया है, लेकिन घोषणा की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, कंपनी, सात के भीतर (7) 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति से दिन, अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश की कुल राशि को एक विशेष खाते में हस्तांतरित करना जिसे अवैतनिक लाभांश खाता (यूडीए) कहा जाता है। यूडीए कंपनी द्वारा किसी भी अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा।

(ii) अवैतनिक लाभांश का विवरण तैयार करना - किसी भी राशि को अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित करने के 90 दिनों के भीतर, कंपनी नाम, अंतिम ज्ञात पते और प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले अवैतनिक लाभांश की राशि वाला एक विवरण तैयार करेगी और इस तरह के बयान को अपनी वेबसाइट, और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट पर भी डाल दें।

(iii) ब्याज का भुगतान यदि राशि के हस्तांतरण में चूक की जाती है- यदि कुल अदत्त लाभांश राशि या उसके किसी भाग को अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण करने में कोई चूक की जाती है, तो कंपनी ऐसी चूक की तारीख से ब्याज का भुगतान करेगी। ऐसी राशि पर अर्जित ब्याज यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के सदस्यों के लाभ के लिए उन्हें भुगतान न की गई राशि के अनुपात में उपलब्ध हो।

(iv) दावा की गई राशि के भुगतान के लिए आवेदन करने वाला दावाकर्ता- कोई भी व्यक्ति जो अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित किसी भी धन का हकदार होने का दावा करता है, संबंधित कंपनी को दावा किए गए धन के भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है।

(v) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में दावा न की गई राशि का हस्तांतरण - अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित कोई भी धन जो इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात (7) वर्षों के लिए भुगतान न किया गया या दावा न किया गया हो, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए उस पर अर्जित ब्याजके साथ हस्तांतरित किया जाएगा।

इसके अलावा, कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण को इस तरह के हस्तांतरण का विवरण युक्त एक निर्धारित विवरण भेजेगी और बदले में, प्राधिकरण ऐसे हस्तांतरण के सबूत के रूप में कंपनी को एक रसीद जारी करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(vi) आईईपीएफ को अंशों का हस्तांतरण- सभी अंश जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार *7* वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर निर्धारित विवरण के साथ हस्तांतरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण के माध्यम से, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि लगातार सात वर्षों की उक्त अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए किसी लाभांश का भुगतान या दावा किया जाता है, तो अंश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(vii) पुनः दावा करने के लिए 'हस्तांतरित अंशों' के मालिक का अधिकार- आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों का कोई भी दावेदार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष से 'हस्तांतरित अंशों' को पुनः प्राप्त करने का हकदार होगा।

(viii) ***उल्लंघन के लिए दंड - यदि कोई कंपनी इस धारा की किसी भी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहती है, तो ऐसी कंपनी पांच सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माना के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी। पहले के बाद प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम दस लाख रुपये के अधीन और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है, पच्चीस हजार रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा और लगातार विफलता के मामले में, एक के साथ पहले के बाद अधिकतम दो लाख रुपये के अधीन प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का और जुर्माना लग सकता है।***

© The Institute of Chartered Accountants of India

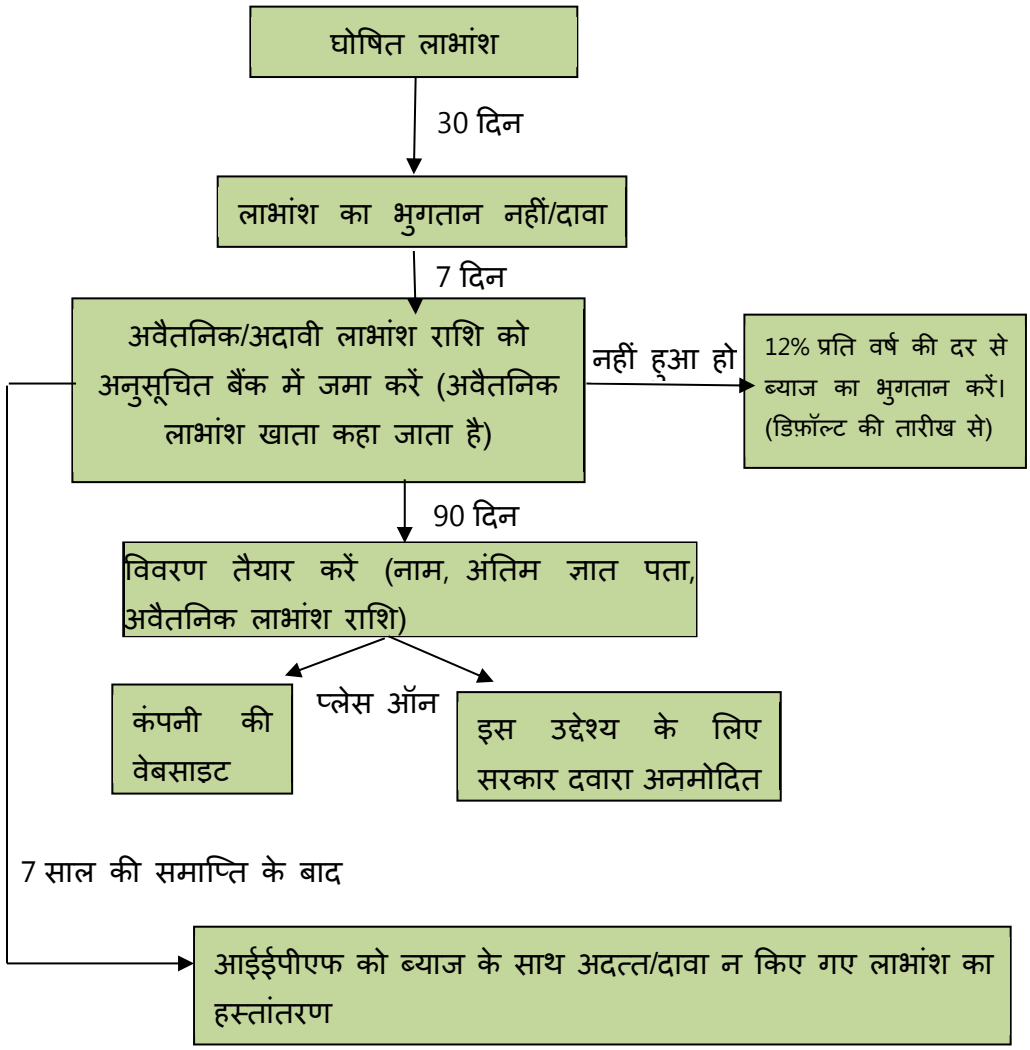

5. निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ)

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 सहित समय-समय पर बनाए गए विभिन्न[12] नियमों के साथ अधिनियम की धारा 125 निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा रही इस निधि को निर्दिष्ट राशि के साथ जमा किया जाएगा और दावा न की गई और अवैतनिक राशियों की वापसी, निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।

[12] अधिसूचना संख्या जीएसआर 854 (ई), दिनांक 05.09.2016 से प्रभावी द्वारा अधिसूचित। 07.09.2016।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रासंगिक प्रावधानों पर नीचे चर्चा की गई है:

1. निधि में निर्दिष्ट राशियों का क्रेडिट:

निम्नलिखित निर्दिष्ट राशियां फंड में जमा की जाएंगी:

(a) **केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि-** संसद द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गई राशि;

(b) **केंद्र सरकार द्वारा दान-** फंड के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा दिया गया दान;

(c) **अवैतनिक लाभांश खाते में पड़ी राशि-** कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खाते (यूडीए) में पड़ी राशि जो उनके द्वारा धारा 124(5) के तहत फंड में हस्तांतरित की जाती है;

(d) **केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में राशि-** केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में राशि जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए(5) के तहत उस खाते में हस्तांतरित की गई थी, क्योंकि यह तुरंत पहले थी कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 का प्रारंभ और 2013 के अधिनियम के प्रारंभ होने पर बकाया या दावा न किया गया;

(e) **आईईपीएफ में राशि-** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में पड़ी राशि;

(f) **निवेश से आय-** फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय;

(g) **प्रतिभूतियों के निपटान या निपटान के माध्यम से प्राप्त राशि-** धारा 38(4) के तहत प्राप्त राशि अर्थात[13] प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए व्यक्ति के रूप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति से जब्त की गई प्रतिभूतियों के निपटान या निपटान के माध्यम से प्राप्त राशि जैसा कि धारा 38(3) में प्रदान किया गया है।

(h) **आवेदन राशि-** कंपनियों द्वारा किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और वापसी के लिए देय (केवल अगर ऐसी राशि भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावा न की गई और भुगतान न की गई हो);

(i) **परिपक्व जमा** - बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के साथ परिपक्व जमा (केवल अगर ऐसी राशि भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावा न की गई और भुगतान न की गई हो);

---

[13] अदालतों द्वारा गलत काम करने वालों पर लगाए गए गलत लाभ का कानूनी रूप से लागू पुनर्भुगतान है। अवैध या अनैतिक व्यापार लेनदेन के माध्यम से प्राप्त किए गए धन को अक्सर ब्याज और/या दंड के साथ कार्रवाई से प्रभावित लोगों को वापस भुगतान किया जाता है, या वापस भुगतान किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(j) **परिपक्व ऋणपत्र-** कंपनियों के साथ परिपक्व ऋणपत्र (केवल अगर ऐसी राशि भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावा न की गई और भुगतान न की गई हो);

(k) **ब्याज-** खंड (h) से (j) में संदर्भित राशियों पर अर्जित ब्याज;

(l) **बिक्री से प्राप्त राशि -** सात या अधिक वर्षों के लिए बोनस अंश जारी करने, विलय और समामेलन से उत्पन्न होने वाले भिन्नात्मक अंशों की बिक्री आय से प्राप्त राशि;

(m) **मोचन राशि-** सात या अधिक वर्षों के लिए बकाया या दावा न किए गए वरीयता अंशों की मोचन राशि; तथा

(n) **अन्य राशियाँ-** निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 3 में निर्धारित अन्य राशियाँ। वे इस प्रकार हैं:

(a) अधिनियम की धारा 125 (2) के खंड (a) से (n) में उल्लिखित सभी देय राशि [जैसा कि ऊपर बताया गया है];

(b) धारा 124 (6) के अनुसार सभी अंश यानी वे सभी अंश जिनके मामले में लाभांश का दावा या भुगतान लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए नहीं किया गया है;

(c) उपरोक्त खंड (b) के तहत प्राधिकरण द्वारा धारित अंश से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी लाभ;

(d) इन नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रशुल्क;

(e) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं;

(f) किसी भी वर्ष प्राधिकरण द्वारा अर्जित सभी आय;

(g) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10B की उप-धारा (3) में उल्लिखित सभी देय राशि। -भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38A की धारा (3) और भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 40A; तथा

(h) अधिनियम में परिकल्पित प्राधिकरण द्वारा एकत्र की गई अन्य सभी राशियाँ।

इसके अलावा, नियम 3 (3) के अनुसार, कंपनियों के सावधि जमा और ऋणपत्र के मामले में, बकाया अवैतनिक या दावा न किए गए ब्याज को ऐसी सावधि जमा और ऋणपत्र की परिपक्व राशि के हस्तांतरण के साथ फंड में स्थानांतरित किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. निधि का उपयोग: धारा 125 (3) के अनुसार निधि का उपयोग निम्न के लिए किया जाएगा:

(a) दावा रहित लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर, वापसी के लिए देय आवेदन राशि और उस पर ब्याज की वापसी;

(b) निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना;

(c) अंशों या, अंशधारकों, ऋणपत्र-धारकों या जमाकर्ताओं के लिए पात्र और पहचान योग्य आवेदकों के बीच किसी भी अव्यवस्थित राशि का वितरण, जो न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत कार्यों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, जिसने विघटन का आदेश दिया था;

(d) ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत के रूप में सदस्यों, ऋणपत्र-धारकों या जमाकर्ताओं द्वारा धारा 37 और 245 के तहत वर्ग कार्रवाई को आगे बढ़ाने में किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति; तथा

(e) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रासंगिक कोई अन्य उद्देश्य।

राशि की वापसी- धारा 205C की उप-धारा (2) के खंड (a) से (d) में निर्दिष्ट एक व्यक्ति राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार 7 साल की समाप्ति के बाद आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया गया था। इस धारा के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार इस तरह के दावों के संबंध में राशि से पुनः राशि पाने का हकदार होगा।

3. भुगतान के लिए प्राधिकरण को आवेदन: धारा 125 (4) के अनुसार, धारा 125 (2) में निर्दिष्ट राशि का हकदार होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति भुगतान के लिए धारा 125 (5) के तहत गठित प्राधिकरण के अंतर्गत पैसे का दावा करने के लिए आवेदन कर सकता है।

4. आईईपीएफ को शासित करने वाले अन्य प्रावधान

(i) फंड के प्रशासन के लिए प्राधिकरण का गठन- अधिसूचना दिनांक 13.01.2016[14] के अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने उप-धारा (5), उप-धारा (6) (प्रशासन के तरीके के संबंध में छोड़कर) को अधिसूचित किया है और अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा (7) 13.01.2016 से प्रभावी है। इस अधिसूचना के साथ, खातों के प्रशासन और रखरखाव के साथ-साथ निधि के अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है।

[14] अधिसूचना संख्या जीएसआर 26 (ई), दिनांक 13.01.2016 के द्वारा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसके अलावा, 13.01.2016 को आईईपीएफ प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकें आयोजित करना और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए प्रावधान) नियम, 2016 की अधिसूचना के साथ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा, छह सदस्य (अधिकतम सीमा सात) और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो प्राधिकरण का संयोजक होगा।

(ii) ***फंड के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक संसाधनों का प्रावधान-*** केंद्र सरकार आईईपीएफ प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकें आयोजित करना) प्राधिकरण को और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए प्रावधान) नियम, *2016* के तहत ऐसे कार्यालय, अधिकारी, कर्मचारी और अन्य संसाधन प्रदान कर सकती है।

(iii) **भारत के सीएजी के परामर्श से काम करने के लिए प्राधिकरण-** प्राधिकरण फंड का प्रशासन करेगा और भारत के नियंत्रक और महालेखपरीक्षक के परामर्श के बाद निर्धारित रूप में फंड के संबंध में अलग खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

(iv) ***धन का व्यय-*** जिन उद्देश्यों के लिए फंड का उपयोग किया जाएगा प्राधिकरण फंड से धारा *125 (3)* में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने के लिए सक्षम होगा।

(v) **फंड की संपरीक्षा-** फंड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखपरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं। ऐसे संपरीक्षित लेख, उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे।

(vi) **प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना** - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्राधिकरण वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा। बदले में, केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक-महालेलेखपरीक्षक द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. लाभांश का अधिकार, अंशों के हस्तांतरण के लंबित पंजीकरण को स्थगित करने के लिए अंशों और बोनस अंशों का अधिकार

धारा 126 के अनुसार, यदि अंशधारक द्वारा पंजीकरण के लिए अंशों के हस्तांतरण का कोई साधन दिया गया है और ऐसे अंशों का हस्तांतरण कंपनी द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है, तो ऐसी कंपनी निम्नलिखित कदम उठाएगी:

(a) ऐसे अंशों के संबंध में लाभांश को अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित करें जब तक कि यह ऐसे अंश के पंजीकृत धारक द्वारा लिखित रूप में हस्तांतरण के साधन में निर्दिष्ट अंतरिती को ऐसे लाभांश का भुगतान करने के लिए अधिकृत न हो; तथा

(b) ऐसे अंशों के संबंध में धारा 62 (1) (a) के तहत अधिकार अंशों के किसी भी प्रस्ताव और धारा 123 (5) के पहले प्रावधान के अनुसरण में पूरी तरह से प्रदत्त बोनस अंशों के किसी भी मुद्दे पर रोक लगाएं।

7. 30 दिनों के भीतर लाभांश वितरित करने में विफलता के लिए दंड

अधिनियम की धारा 127 में लाभांश के वितरण की समय सीमा और समय पर लाभांश वितरित करने में विफलता के लिए दंड शामिल है। दंड में कुछ छूट भी प्रदान की जाती हैं। इन प्रावधानों को निम्नानुसार बताया गया है:

A. लाभांश के वितरण के लिए समय सीमा

जहाँ कोई कंपनी लाभांश की घोषणा करती है, उसका भुगतान किया जाना चाहिए या उसके लाभांश वारंट को उसके हकदार अंशधारकों को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोस्ट किया जाना चाहिए। 30 दिनों के भीतर लाभांश वारंट पोस्ट करने से कंपनी किसी भी दंड से मुक्त हो जाती है, भले ही वह इस समय के भीतर संबंधित अंशधारक द्वारा प्राप्त किया गया हो या नहीं। अपराध तभी किया जाता है जब कंपनी घोषणा के 30 दिनों के भीतर सदस्यों के पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट पोस्ट करने में विफल रहती है। अंशधारकों द्वारा निर्धारित समय के भीतर लाभांश वारंट प्राप्त न करने पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

B. विफलता के लिए दंड

यदि कोई कंपनी घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहती है या घोषणा के 30 दिनों के भीतर लाभांश वारंट पोस्ट करने में विफल रहती है, तो निम्नलिखित दंड लागू होते हैं:

(i) कंपनी के प्रत्येक निदेशक को दो साल तक के कारावास की सजा हो सकती है, यदि वह जानबूझकर चूक का पक्षकार है और, वह प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है, के लिए न्यूनतम ₹1,000 का जुर्माना अदा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ii) चूक के जारी रहने की अवधि के कंपनी 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसी चूक जारी रहती है।

C. दंड से छूट

निम्नलिखित मामलों के तहत, जहाँ कंपनी घोषणा के 30 दिनों के भीतर घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रही है, कोई भी अपराध किया गया नहीं माना जाएगा और इसलिए, कोई दंड नहीं दिया जाएगा:

(a) जहाँ किसी कानून के संचालन के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सका;

(b) जहाँ एक अंशधारक ने लाभांश के भुगतान के संबंध में कंपनी को निर्देश दिया है और उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकता है और उसे सूचित किया गया है;

(c) जहाँ लाभांश प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में कोई विवाद है;

(d) जहाँ कंपनी द्वारा अंशधारक से देय किसी भी राशि के खिलाफ लाभांश को कानूनी रूप से समायोजित किया गया है;

(e) जहाँ, किसी अन्य कारण से, लाभांश का भुगतान करने में विफलता या 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर वारंट पोस्ट करने में विफलता कंपनी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं थी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

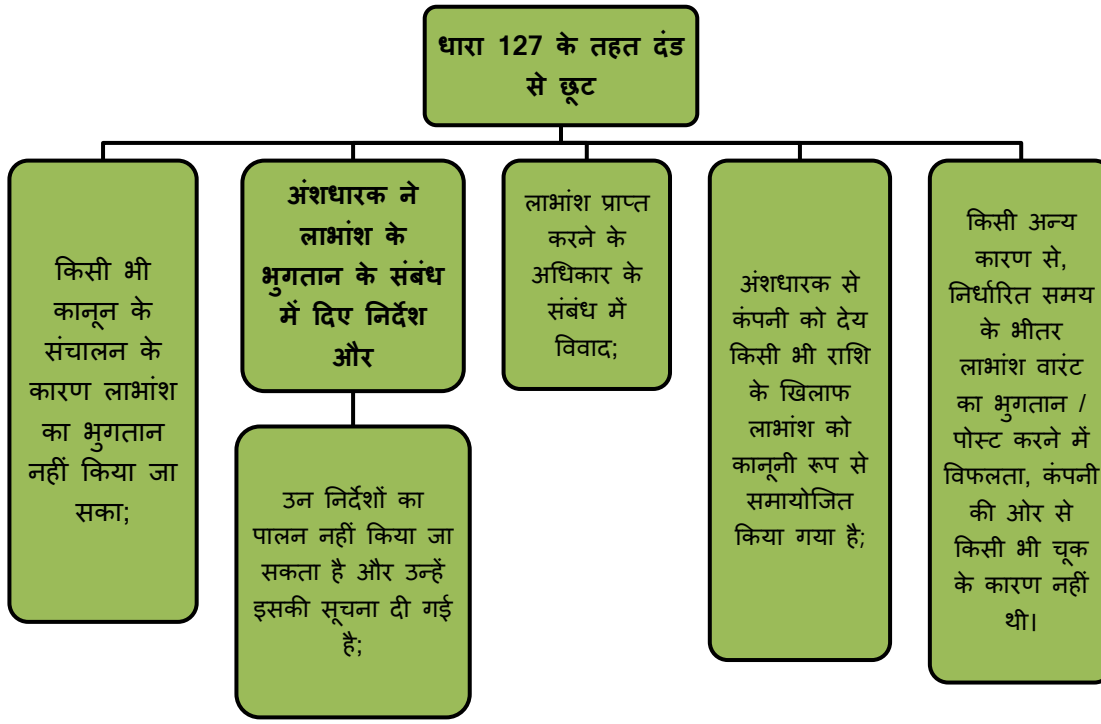

उदाहरण 12: श्री आलोक ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के इक्विटी अंशों को धारण करते हुए अंशों पर देय कॉल मनी के लिए ₹80,000 का भुगतान नहीं किया है। क्या उसे देय लाभांश राशि को ऐसी देय राशि में समायोजित किया जा सकता है? अपने जवाब से जुड़ा कारण जरुर दे।

उत्तर: हाँ, धारा 127 के प्रावधान के खंड (d) के अनुसार, जहाँ कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है और किसी सदस्य से बकाया या किसी अन्य राशि में कॉल रहता है, तो लाभांश को कंपनी द्वारा ऐसे किसी भी बकाया के खिलाफ कानूनी रूप से समायोजित किया जा सकता है।

इस प्रकार, श्री आलोक को देय लाभांश को ₹80,000 की राशि के अंशों पर देय कॉल मनी के लिए समायोजित करने वाली कंपनी की कार्रवाई उचित है और इसलिए, कोई दंड नहीं होता है।

D. निधि के लिए धारा 127 की प्रयोज्यता

अधिसूचना संख्या जीएसआर 465 (E), दिनांक 05-06-2015 के अनुसार, दंड से संबंधित धारा 127 निम्नलिखित संशोधन के अधीन निधियों पर लागू होगी:

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि किसी सदस्य को देय लाभांश ₹100 या उससे कम है, तो यह धारा 127 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि लाभांश की घोषणा स्थानीय भाषा में व्यापक प्रसार और घोषणा के एक स्थानीय समाचार पत्र में की जाती है। उक्त घोषणा कम से कम 3 महीने के लिए निधि के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाती है।

सारांश

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(35) में कहा गया है कि "लाभांश" में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है।
- लाभांश की घोषणा इनमें से की जा सकती है:
  - मूल्यह्रास के बाद चालू वर्ष के लाभ,
  - किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए लाभ जो मूल्यह्रास प्रदान करने और शेष अवितरित होने के बाद आया था,
  - उपरोक्त दोनों,
  - सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसरण में कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया धन।

  [***नोट:*** मूल्यह्रास अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।]
- लाभांश की घोषणा से पहले, कंपनी अपने विवेक से, अपने लाभ का कोई भी उचित प्रतिशत रिजर्व में हस्तांतरित कर सकती है।
- जब अपर्याप्तता या लाभ की अनुपस्थिति होती है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद मुक्त संचय में से लाभांश की घोषणा कर सकती है।
- लाभांश की राशि (अंतरिम लाभांश सहित) लाभांश की घोषणा की तारीख से 5 दिनों के भीतर अनुसूचित बैंक के पास रखे गए एक अलग बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- लाभांश का भुगतान-
  - भुगतान किया जाना
    - नकद के रूप में; अथवा
    - चेक के द्वारा; अथवा
    - लाभांश वारंट द्वारा; या
    - किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा
  - देय

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ❒ अंशों के पंजीकृत अंशधारक को; या
- ❒ उसके आदेश के लिए; या
- ❒ उसके बैंकर को।

- निधि के मामले में
  - ❒ नकद में देय किसी लाभांश का भुगतान सदस्य के खाते में जमा करके किया जा सकता है, यदि लाभांश का दावा लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है।

- अवैतनिक लाभांश खाता (यूडीए)
  - घोषित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया या अवैतनिक लाभांश खाते (यूडीए) में हस्तांतरित होने का दावा किया गया।
  - अवैतनिक लाभांश के ब्यौरों का विवरण तैयार करें।
  - यूडीए को राशि अंतरित करने में चूक - 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज
  - हकदार अंशधारक यूडीए से राशि के भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  - यूडीए को इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात साल की समाप्ति के बाद निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में लाभांश की अवैतनिक या दावा न की गई राशि (और उसके अंश) को हस्तांतरित करें।
  - आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों के मालिक का आईईपीएफ से दावा करने का अधिकार: हस्तांतरित अंशों का दावेदार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके और निर्धारित दस्तावेज जमा करने पर आईईपीएफ से अंशों के हस्तांतरण को पुनः प्राप्त करने का हकदार है।
  - यदि लगातार 7 वर्षों की उक्त अवधि के दौरान किसी लाभांश का भुगतान या दावा किया जाता है, तो अंशों को आईईपीएफ में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।
  - दंड: यदि कोई कंपनी घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहती है या घोषणा के 30 दिनों के भीतर लाभांश वारंट पोस्ट करने में विफल रहती है, तो कंपनी एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और लगातार विफलता के मामले में, पांच सौ रुपये का और जुर्माना लगाया जाएगा। पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम दस लाख रुपये के अधीन और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक में है, पच्चीस हजार रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा और लगातार विफलता के मामले में, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये का एक और जुर्माना, जिसके दौरान अधिकतम दो लाख रुपये के अधीन ऐसी विफलता जारी रहती है।

- धारा 127 के तहत दंड से छूट

© The Institute of Chartered Accountants of India

- किसी भी कानून के संचालन के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सका;
- अंशधारक ने लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्देश दिए लेकिन उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका और उन्हें इसकी सूचना दी गई थी;
- लाभांश प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में विवाद;
- अंशधारक से कंपनी को देय किसी भी राशि के खिलाफ लाभांश को कानूनी रूप से समायोजित किया गया था;
- किसी अन्य कारण से और निर्धारित समय के भीतर लाभांश वारंट का भुगतान/पोस्ट करने में विफलता कंपनी की ओर से किसी भी चूक के कारण नहीं थी।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

प्रश्न 1

30 मई, 2019 को आयोजित एबीसी बेकर्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अपनी चुकता इक्विटी अंश पूँजी पर देय 30% की दर से लाभांश की घोषणा की। हालाँकि, कंपनी 25 जुलाई, 2019 तक इक्विटी अंशधारक श्री रंजन को लाभांश वारंट पोस्ट करने में असमर्थ थी। श्री रंजन ने कंपनी के खिलाफ डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ लाभांश के भुगतान के लिए एक मुकदमा दायर किया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आलोक में निर्णय लें कि क्या श्री रंजन सफल होंगे? साथ ही अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में निदेशकों के दायित्व का भी उल्लेख करें।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 तीस दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश का भुगतान न करने पर दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार जहाँ एक कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है या लाभांश के भुगतान के हकदार किसी भी अंशधारक को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसके संबंध में वारंट पोस्ट नहीं किया गया है:

(a) कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर चूक का एक पक्ष है, तो अधिकतम दो साल तक के कारावास और जितनी अवधि के दौरान ऐसी चूक जारी रहती है प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा; तथा

(b) कंपनी उस अवधि के दौरान 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसके लिए ऐसी चूक जारी रहती है।

इसलिए, दिए गए मामले में श्री रंजन सफल नहीं होंगे यदि वह 20% ब्याज पर ब्याज का दावा करते हैं क्योंकि धारा 127 के तहत सीमा 18% प्रति वर्ष है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न 2

फ्यूचर फैशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में अपनी चुकता इक्विटी अंश पूँजी पर लाभांश की सिफारिश की जिसे बाद में वार्षिक आम बैठक में अंशधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके बाद, बोर्ड की एक अन्य बैठक में निदेशकों ने कंपनी के नाम पर कुछ अल्पकालिक निवेशों की खरीद के लिए अंशधारकों को भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश को हटाने के लिए एक बोर्ड प्रस्ताव पारित किया। नतीजतन, अंशधारकों को 45 दिनों के बाद लाभांश का भुगतान किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जांच करते हुए बताएं कि क्या निदेशकों का कार्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है और यदि ऐसा है, तो उपरोक्त उल्लंघनकारी अधिनियम के परिणाम बताएं।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार, जहाँ कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की गई है, लेकिन घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, तो कंपनी की समाप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर 30 दिनों की उक्त अवधि के लिए, लाभांश की कुल राशि जो भुगतान न की गई हो या अदावी न हो, कंपनी द्वारा किसी भी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले एक विशेष खाते में हस्तांतरित करें जिसे अवैतनिक लाभांश खाता कहा जाता है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 के अनुसार, जहाँ किसी कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है या उसके संबंध में वारंट किसी भी हकदार अंशधारक को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर पोस्ट नहीं किया गया है, कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर चूक का पक्षकार है, दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

वर्तमान मामले में, फ्यूचर फैशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में अपनी चुकता इक्विटी अंश पूँजी पर लाभांश की सिफारिश की जिसे बाद में अंशधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया गया। इसके बाद, बोर्ड की एक अन्य बैठक में निदेशकों ने कंपनी के नाम पर कुछ अल्पकालिक निवेशों की खरीद के लिए अंशधारकों को भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश को हटाने के लिए एक बोर्ड प्रस्ताव पारित करके निर्णय लिया। नतीजतन, अंशधारकों को 45 दिनों के बाद लाभांश का भुगतान किया गया।

1. चूँकि, लाभांश के भुगतान के हकदार किसी भी अंशधारक को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर घोषित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, कंपनी, 30 दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर, कुल लाभांश की वह राशि जो भुगतान न की गई हो या कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले विशेष खाते में दावा न किया गया हो, अवैतनिक लाभांश खाता कहलाती है।

2. फ्यूचर फैशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 का उल्लंघन किया है क्योंकि यह अंशधारकों को भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश को कुछ

© The Institute of Chartered Accountants of India

शॉर्ट की खरीद के लिए हटाने के अपने निर्णय के कारण 30 दिनों के भीतर अंशधारकों को लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है।

परिणाम: उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के परिणाम निम्नलिखित हैं:

(a) कंपनी का प्रत्येक निदेशक, यदि वह जानबूझकर चूक का एक पक्ष है, तो अधिकतम दो साल के कारावास से दंडनीय होगा और प्रत्येक दिन के लिए न्यूनतम जुर्माना एक हजार रुपये के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसी चूक जारी रहती है।

(b) कंपनी 18% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसी चूक जारी रहती है।

प्रश्न 3

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, निम्नलिखित की वैधता की जांच करें:

एबीसी ट्रैक्टर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इक्विटी अंशधारकों को 20% की दर से लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने इस अधिनियम के शुरू होने से पहले स्वीकार किए गए सार्वजनिक जमा के पुनर्भुगतान में चूक की है।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(6) में विशेष रूप से प्रावधान है कि कंपनी जो धारा 73 (जनता से जमा की स्वीकृति का निषेध) और धारा 74 (जमा की चुकौती, आदि) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद) जब तक ऐसी विफलता जारी रहती है, तब तक अपने इक्विटी अंशों पर किसी लाभांश की घोषणा नहीं करेगा।

दिए गए उदाहरण में, एबीसी ट्रैक्टर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इक्विटी अंशधारकों को 20% की दर से लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने कंपनियों अधिनियम, 2013 के शुरू होने से पहले स्वीकार किए गए सार्वजनिक जमा के पुनर्भुगतान में चूक की है। इसलिए, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, एबीसी ट्रैक्टर्स लिमिटेड द्वारा लाभांश की घोषणा वैध नहीं है।

प्रश्न 4

स्टार कंप्यूटर्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित दो मामलों को छोड़कर, अपने सभी इक्विटी धारकों को समय पर लाभांश घोषित और भुगतान किया:

(i) श्रीमती शीला भट्ट, जिनके पास 250 अंश थे, उन्होंने कंपनी को लाभांश राशि सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए बाध्य किया था। कंपनी ने तदनुसार लाभांश का भुगतान किया लेकिन बैंक ने इस आधार पर भुगतान वापस कर दिया कि बैंक रिकॉर्ड में प्राप्तकर्ता के

© The Institute of Chartered Accountants of India

उपनाम में अंतर था। हालाँकि, कंपनी ने श्रीमती शीला भट्ट को इस विसंगति के बारे में सूचित नहीं किया।

(ii) स्वर्गीय श्री मोहन, के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद के कारण न्यायालय के आदेश के अनुसार उत्तराधिकारी को ₹ 50,000 की लाभांश राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

आपको लाभांश वितरित करने में विफलता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में इन मामलों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

उत्तर

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 में समय पर लाभांश वितरित करने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान है। ऐसी स्थितियों में से एक है जहाँ एक अंशधारक ने लाभांश के भुगतान के संबंध में कंपनी को निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैर-अनुपालन के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था।

दी गई स्थिति में, कंपनी अंशधारक श्रीमती शीला भट्ट को लाभांश के भुगतान के संबंध में उनके निर्देश का पालन न करने के बारे में बताने करने में विफल रही है। इसलिए, धारा 127 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

(ii) धारा 127, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि कोई भी अपराध किया गया नहीं माना जाएगा जहाँ कानून के संचालन के कारण लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि इसे अदालत द्वारा भुगतान करने की अनुमति नहीं थी जब तक कि उत्तराधिकार के बारे में मामला हल नहीं हो जाता। इसलिए, कंपनी और उसके निदेशकों आदि पर कोई दायित्व नहीं होगा।

प्रश्न 5

अल्फा हर्बल्स, धारा 8 कंपनी 31-03-2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित करने की योजना बना रही है। श्री चोपड़ा के पास आज की तारीख में 800 इक्विटी अंश हैं। बताएं कि क्या कंपनी का कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(1) के अनुसार, अधिनियम की धारा 8 (धर्मार्थ उद्देश्यों वाली कंपनियों का गठन, आदि) के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने से प्रतिबंधित किया गया है। उनके मुनाफे का उद्देश्य केवल उन वस्तुओं को बढ़ावा देने में लगाया जाना है जिनके लिए वे बने हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, इस मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनी अल्फा हर्बल्स का प्रस्तावित अधिनियम, जो लाभांश घोषित करने की योजना बना रहा है, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

प्रश्न 6

(i) *YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड एक निर्माण कंपनी है और उसने चालू वर्ष के मुनाफे में से वर्ष 2018-19 के लिए 10% लाभांश का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने 2018-19 के दौरान ₹910 करोड़ का लाभ कमाया है। कंपनी मुनाफे में से किसी भी राशि को सामान्य रिजर्व में हस्तांतरित करने का इरादा नहीं रखती है। क्या YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को ऐसा करने की अनुमति है? टिप्पणी कीजिए।*

(ii) *करण, मेसर्स के 100 रुपये के 5000 इक्विटी अंश के धारक रचित लेदर शूज लिमिटेड ने ₹10 प्रति शेयर की अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। एम/एस. रचित लेदर शूज लिमिटेड ने 10% का लाभांश घोषित किया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में जांच करें कि करण को कितना लाभांश मिलना चाहिए।*

उत्तर

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, कंपनी, किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले, उस वित्तीय वर्ष के लिए वह कंपनी के रिजर्व के लिए उपयुक्त समझे जाने के अनुसार लाभ का उतना प्रतिशत हस्तांतरित कर सकती है। ऐसा हस्तांतरण अनिवार्य नहीं है और रिजर्व में हस्तांतरण किया जाने वाला प्रतिशत कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

दिए गए तथ्यों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में वाईजेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने ₹910 करोड़ का लाभ कमाया है। इसने 10% की दर से लाभांश का प्रस्ताव किया है। हालाँकि,यह चालू वर्ष के मुनाफे में से किसी भी राशि को कंपनी के रिजर्व में हस्तांतरित करने का इरादा नहीं रखता है।

ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए मुनाफे में से रिजर्व में हस्तांतरित की जाने वाली राशि कंपनी के अपने निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करने के विवेक पर है। इसलिए, अपने विवेक पर, यदि YZ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड 10% पर लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी लाभ को रिजर्व में हस्तांतरित नहीं करने का निर्णय लेता है, तो उसे कानूनी रूप से ऐसा करने की अनुमति है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 के प्रावधान के अनुसार, किसी भी निदेशक द्वारा घोषित लाभांश के खिलाफ किसी सदस्य से बकाया बकाया राशि या किसी अन्य राशि के बकाया में कॉल को समायोजित करने के लिए कोई अपराध नहीं माना जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस प्रकार, दिए गए तथ्यों के अनुसार, मेसर्स. रचित लेदर शूज़ लिमिटेड 10% के घोषित लाभांश अर्थात 5,00,000 x 10/100 = 50,000 के विरुद्ध ₹50,000 की अदत्त कॉल मनी को समायोजित कर सकता है। इसलिए, करन द्वारा भुगतान नहीं की गई ₹50,000 की कॉल मनी को उसे देय ₹50,000 की हकदार लाभांश राशि से पूरी तरह से समायोजित किया जा सकता है।

प्रश्न 7

पीक्यू लिमिटेड ने 500 इक्विटी अंश रखने वाले श्री कुमार को छोड़कर अपने सभी अंशधारकों को 10% लाभांश घोषित और भुगतान किया, जिन्होंने कंपनी को लाभांश राशि सीधे अपने बैंक खाते में जमा करने का निर्देश दिया। कंपनी ने तदनुसार लाभांश का भुगतान किया, लेकिन बैंक ने भुगतान इस आधार पर वापस कर दिया कि श्री कुमार द्वारा दी गई खाता संख्या बैंक के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। हालाँकि,कंपनी ने श्री कुमार को इस विसंगति के बारे में सूचित नहीं किया। लाभांश वितरण में विफलता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में इस मुद्दे पर टिप्पणी करें।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 127 में समय पर लाभांश वितरित करने में विफलता के लिए दंड का प्रावधान है। ऐसी स्थितियों में से एक है जहाँ अंशधारक ने लाभांश के भुगतान के संबंध में कंपनी को निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा सकता है और इसे अंशधारक को सूचित नहीं किया गया है।

इस मामले में, पीक्यू लिमिटेड अंशधारक श्री कुमार को लाभांश के भुगतान के संबंध में उनके निर्देश के गैर-अनुपालन के बारे में संवाद करने में विफल रहा है। इसलिए, धारा 127 के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होगा।

प्रश्न 8

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान एलेक्स लिमिटेड को कारोबार में घाटा हो रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, कंपनी ने क्रमशः 7%, 11% और 12% की दर से लाभांश घोषित किया था। निदेशक मंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए कम से कम तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बराबर होने के लिए 12% अंतरिम लाभांश घोषित करने का निर्णय लिया है। क्या निदेशक मंडल का कार्य वैध है?

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(3) के अनुसार, किसी कंपनी का निदेशक मंडल किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में अधिशेष में से और वित्तीय वर्ष के लाभ में अगर अंतरिम लाभांश घोषित करने की मांग है तो वह अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

बशर्ते कि यदि कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पहले की तिमाही के अंत तक नुकसान हुआ है, तो ऐसे अंतरिम लाभांश को कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांश से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा।

दिए गए तथ्यों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान एलेक्स लिमिटेड को व्यापार में घाटा हो रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, कंपनी ने क्रमशः 7%, 11% और 12% की दर से लाभांश की घोषणा की। तदनुसार, घोषित लाभांश की दर 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, दर का औसत (7+11+12=30/3) जिस पर उसके द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभांश घोषित किया गया था।

इसलिए, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान 12% की दर से अंतरिम लाभांश की घोषणा के रूप में निदेशक मंडल का कार्य मान्य नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India